शीतल - हनुमान पु.न. 09/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
16.6.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट..... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 09 / 2023

1 छीतरमल पुत्र गीगाराम जाति जाट निवासी जुराठडा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 हनुमान पुत्र रूपा
2 अर्जुनराम
3 भोलू
4 मोहन
5 गोविन्दा पुत्रगण बोदू
6 संज्या पत्नी बोदू
7 सुन्दरी पत्नी बोदू
8 मुकेश कुमार पुत्र गोविन्दराम
9 अनिता देवी
10 गोकुल कुमारी
11 सुमन देवी
12 सरिता देवी
13 सुशीला पुत्रियां गोविन्दराम
14 आंची
15 मन्नी देवी
16 सुरेश देवी पुत्रियां बद्रीप्रसाद
17 गोपाल
18 महेन्द्र
19 भंवरलाल पुत्रगण बद्रीप्रसाद
20 श्योकोरी पत्नी बद्रीप्रसाद
21 किशना पुत्र कालू
22 हरदेवा पुत्र कालू
23 पतासी पुत्री कालू

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

24 मोहनी पुत्री कालू
25 सोहनी पत्नी कालू फौत
26 ग्यारसी पत्नी गीगराज
27 गोपालराम
28 बाबूलाल
29 शंकरलाल पुत्रगण गीगाराम
30 गोकुलचन्द
31 झाबरमल
32 पप्पू पुत्रगण नारायण
33 सरस्वती पत्नी नारायण
34 भगवानी पत्नी गणपत फौत
35 विमला
36 सजना
37 संतोष
38 सोहनी पुत्रियां गणपत
39 रामनाथ पुत्र गणपत मृत
39/1 सागरमल
39/2 सोहनलाल पुत्रगण रामनाथ
39/3 ग्यारसी पुत्री रामनाथ
39/4 गुलाबी पुत्री रामनाथ
39/5 छोटी पत्नी रामनाथ
39/6 नौरंगलाल पुत्र श्रवण पुत्र रामनाथ
39/7 आंची देवी पत्नी श्रवण पुत्र रामनाथ
39/8 मैना देवी पुत्री श्रवण पुत्र रामनाथ
40 रामेश्वर पुत्र गणपत
41 सुरजी देवी पत्नी अर्जुनलाल
समस्त जाति जाट निवासीगण जुराठडा तहसील व जिला सीकर।
42 बड़ौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पलसाना।
43 पंजाब नेशनल बैंक पलसाना।
44 बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक श्यामपुरा।
45 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया पलसाना।
46 पटवारी हल्का जुराठडा।
47 उप पंजीयक सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

48 तहसीलदार सीकर।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.06.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर दावा संख्या 146/2022 उनवानी हनुमान बनाम अर्जुनराम आदि

उपस्थिति :

1. श्री गणपतलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रतनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 16/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 48/2013 में पारित निर्णय दिनांक 10.06.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 41 के विरूद्ध एक वाद बाबत उद्घोषणा, बंटवारा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का कृषि भूमि खसरा नम्बर 1376, 1377, 1388, 1389, 1566/1380, 1567/1380, 1568/1380, 713, 759, 760, 761 कुल रकबा 9.76 हैक्टेयर तथा भूमि खसरा नम्बर 724 से 730, 733 से 737, 739, 740, 741, 743, 745, 747, 749, 750, 752, 754, 755, 756, 765, 882 कुल रकबा 8.47 हैक्टेयर वाके ग्राम जुराठडा तहसील व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जिला सीकर के बाबत दिनांक 10.06.2022 को प्रशासन गांवो के संग अभियान गोकुलुपरा में पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2022 को ही अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के नाम नोटिस जारी किये बिना ही प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री राजस्व लोक अदालत प्रशासन गांवो के संग अभियान गोकुलपुरा में पारित किया गया है। लेकिन अपीलाधीन वाद की पत्रावली कैम्प कोर्ट गोकुलपुरा में प्रस्तुत होने बाबत अपीलान्ट को न तो किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई तथा ना ही किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करने से पूर्व वाद में अपनाय जाने वाली विधिक प्रकिया की कोई पालना नहीं की गई। जबकि विचारण न्यायालय का यह दायित्व था कि प्रकरण दर्ज कर पक्षकारों के नाम नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली में जवाब दावा लेकर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर ही पत्रावली में अपनाई जाने वाली कार्यवाही को पूर्ण करते हुए निर्णय व डिक्री जारी करती चाहिए थी, लेकिन विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व संपूर्ण कार्यवाही को दर किनार रखते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई है जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपीलाधीन वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 25 व 34 की मृत्यु हो चुकी है। मृत व्यक्ति के खिलाफ विचारण न्यायालय द्वारा मनमर्जी से निर्णय व डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में न तो कोई जवाब दावा लिया गया तथा ना ही साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु किसी प्रकार का कोई अवसर, दिया गया तथा ना ही किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत करने व उस पर प्रदर्श डालने तक का मौका दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री लोक अदालत कैम्प कोर्ट गोकुलपुरा में पारित किया गया है, परंतु लोक अदालत में निर्णय पक्षकारों की सहमति आपसी समझाईश व राजीनामा से ही पारित हो सकता है। प्रस्तुत अपीलाधीन वाद में किसी भी पक्षकार के सहमति स्वरूप कोई हस्ताक्षर नहीं है तथा ना ही विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि

भूप्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पक्षकारों के मध्य निर्णय ही नहीं न्याय भी होना चाहिए, जबकि प्रस्तुत अपीलाधीन वाद में विचारण न्यायालय द्वारा केवल मात्र निर्णय ही किया है, जबकि निर्णय के साथ साथ न्याय भी होना चाहिए। इस कारण भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री स्थिर रहने योग्य नहीं है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पक्षकारान विवादित भूमि सहखातेदारान है। विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से विवादित भूमि के संदर्भ में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से विभाजन की बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विभाजन प्रस्ताव पर सभी पक्षकारों को आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार है। विचारण न्यायालय में 41 पक्षकारों के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचाराधीन निर्णय को केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 27 द्वारा चुनौती दी गई है। शेष प्रतिवादीगण ने कोई चुनौती नहीं दी है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पोडेन्ट 1 द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये बिना ही वाद प्रस्तुत करने के दिन ही बिना किसी विधिक प्रकिया की पालना किये विचाराधीन निर्णय पारित कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों एवं विधिक प्रकिया के विपरित विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामील के उपरांत जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर